

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
पत्रांक 12-1, दिनांक, मसूरी, 9, अप्रैल, 2015

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
ऋषिकेश।

विषय:- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत विकास खण्ड रायपुर में राजीवगान्धी अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक चार लेन पहुँचमार्ग के नव निर्माण हेतु 1.92 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 का प्रत्यावर्तन।
थ/UK/RIOAD/10198/2015 DATED 18-02-2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक आनलाईन प्रेषित प्रस्ताव में चस्पा वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धी दस्तावेजों में अंकित तिथियों में छेड़छाड़ किये जाने बावत अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा स्थिति स्पष्ट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कृपया तत्संबन्धी दस्तावेजों की पुनः छानवीन कर सुस्पष्ट दस्तावेज आनलाईन करते हुए कियान्वयन की सूचना इस कार्यालय व वृत्त एवं नोडल कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा.धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 4403 (1)/ दिनांकित

प्रतिलिपि - वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून को वृत्त कार्यालय के पत्रांक 2077/12-1(1) दिनांक 8-04-2015।

प्रशासक अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(डा.धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।